

पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17, धारा-21(1) एवं शासनादेश संख्या 124/XXX-2-22-30(13)2017/दिनांक 08 अप्रैल, 2022 तथा शासनादेश संख्या-PVD2/TRF/1/2022-XXX-2 दिनांक 30 जून, 2022 के प्राविधानानुसार पशुपालन विभाग में निदेशालय स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु गठित स्थाई स्थानान्तरण समिति की संस्तुति अनुरूप स्थानान्तरण सत्र 2022-23 में पशुपालन विभाग के अन्तर्गत अपर सांख्यिकीय अधिकारी के पद के कार्मिकों को अनिवार्य/अनुरोध के आधार पर निम्नवत तालिका के स्तम्भ-3 में वर्णित उनके वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 में वर्णित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क: अपर सांख्यिकीय अधिकारी क (1): अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	श्री सुधीर कुमार, अपर सांख्यिकीय अधिकारी	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार	कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी	जनहित
2	श्री विमल सिंह कुशवाहा, अपर सांख्यिकीय अधिकारी	पशुपालन निदेशालय, देहरादून	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़	जनहित

क (2): अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण


क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	श्री बी०डी० जोशी, अपर सांख्यिकीय अधिकारी	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा	कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल	अनुरोध
2	श्रीमती रश्मि कुकशाल, अपर सांख्यिकीय अधिकारी	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, टिहरी-नरेन्द्रनगर	पशुपालन निदेशालय, देहरादून	अनुरोध

क (3): अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	श्री शंकर सिंह, अपर सांख्यिकीय अधिकारी	कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी	पशुपालन निदेशालय, देहरादून	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा अधिनियम के प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होते हुए, ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. जनहित में किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरित कार्मिक नियमानुसार स्थानान्तरण भत्ते हेतु अर्ह होंगे तथा अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ते हेतु अर्ह नहीं होंगे।


(डा० प्रेम कुमार)
निदेशक।

संख्या: 1795 / स्था०एक / स्थाना०-संख्या / 2022-23 दिनांक 07 जुलाई, 2022

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव, सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, टिहरी/हरिद्वार/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित कार्मिकों को अनुपालनार्थ।


(डा० प्रेम कुमार)
निदेशक।